

23.03.21.

वकीलों द्वारा कार्य स्थागित रहा। अपीलान्ट द्वारा पेश
पत्र दि० 05.12.19 का अवलोकन किया। स्वयं
अपीलान्ट उभय पक्ष में राजीनामा होना बताकर
अपील को को चलाता नहीं चाहता है। अपीलान्ट
की पहचान अधिवक्ता श्री शैलू सिंह द्वारा की गई है।
अधिवक्ता रेहो० को आपत्त नहीं है। अतः पत्र
स्वीकार किया जाकर पत्रावली इसी स्टेज पर बिंदी
में रवारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम की जावे, बाद जाता दारखत दफ्तर
है।

प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)